न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत अलेई

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 3 / 47 / 17

अनुवान– 1.प्रहलाद राय पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटाराम जाति माली निवासी खवास का बाग राजगढ
2 हरिराम पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटाराम जाति माली निवासी खवास का बाग राजगढः– प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार राजगढ

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 136 आर.टी.एक्ट.

07.06.2018ः–आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलेई पर वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि आराजी हाल खसरा नं0 1443 / 0.51, 1444 / 0.29, 1448 / 0.01, 1449 / 0.01, 1450 / 0.17, 1451 / 0.05, 1452 / 0.01, 1452 / 2058 / 0.03 वाके ग्राम खवास का बाग तन कारोठ तहसील राजगढ जिसका प्रार्थीगण खातेदार है। यह है कि राजस्व कर्मचारियों ने गलती से रिकार्ड मे प्रहलाद राय के स्थान पर प्रहलाद राम दर्ज कर दिया है, तथा छोटेलाल उर्फ छोटाराम को प्रार्थीगण के साथ दर्ज कर दिया अर्थात प्रार्थीगण के नाम के साथ पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटाराम दर्ज नही किया है। जो ईन्द्राज काबिज दुरूस्ती योग्य है। अंत मे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त वर्णित आराजी के खातेदारी कॉलम में प्रहलाद राम के स्थान पर प्रहलाद राय व छगनलाल के बाद पुत्र छोटेलाल उर्फ छोटाराम दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजगढ से जांच रिर्पोट प्राप्त की गई उनके द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों की सही होने की पृष्टि करते हुऐ प्रार्थना पत्र के अनुसार दुरूस्ती करना उचित दर्शाया है।

मैन पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी की और से पृष्टि मे प्रस्तुत दस्तावेज मा0शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र, जमाबंदी संवत 2039–42, 2031–34, 2046, 2069–72 व मिलान क्षेत्रफल संवत 2046 का भी अवलोकन किया। पटवारी हल्का व तहसीलदार राजगढ की जांच रिर्पोट तथा प्रार्थी की और से उक्तानुसार प्रस्तुत दस्तावेज से प्रार्थना पत्र काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा प्रार्थना पत्र 136 आर.टी.एक्ट आराजी हाल खसरा नं0 1443 / 0.51, 1444 / 0.29, 1448 / 0.01, 1449 / 0.01, 1450 / 0.17, 1451 / 0.05, 1452 / 0.01, 1452 / 2058 / 0.03 वाके ग्राम खवास का बाग तन कारोठ तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो हाल रिकार्ड जमाबन्दी मे उक्त आराजी के खातेदारी कॉलम मे दर्ज प्रहलाद राम के स्थान पर प्रहलाद राम व छगनलाल के बाद मे पुत्रान छोटेलाल उर्फ छोटाराम दुरूस्त कर पालना करें। तहसीलदार राजगढ को निर्णय प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट अलेई तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत अलेई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official